

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

अनुमति-पत्र

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल द३० प्र० नगर नियोजन तथा विकास प्राधिकरण १९७३ की शारा १५ व १६ के अन्तर्गत ही जाती है, किंतु वर्ष यह न समझना चाहिये कि इस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे जिसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या दसका स्थानीय आधिकारी या अधिकारी कक्ष के मालिकाना अधिकारी पर किसी का कोई असर पड़ेगा वह अनुमति किसी के मिलिक्यत या स्वामित्व के अधिकारों के बहुत कोई प्रभाव न रखेगी।

विनियोजित प्राथमिकों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री (प्र० एवं म०) श्रीका जापानी (प्र० एवं म०) श्रीका जापानी वित्ती का नाम श्री मुहल्ला घट्टांग नम्बर में जिसके में विनियोजित स्थान पर जो प्राथमिक वास्तुत किये गये हैं, सचिव के चिन्हसु भवन विवर है अनुसार निम्नलिखित विवरण करें।



दिनांक १२/३/१०
संचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

नोट :- १—यह अनुमति प्राप्त केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानविक के अनुसार बड़ी किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पुणे व्यापार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई दमारत विना सचिव विकास प्राधिकरण को अनुमति प्राप्त किये निर्माण अधिकारी पुनः निर्माण हासी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा। अधिकारी इस प्रकार की यह अधिनियम की शारा २७ के अन्तर्गत दण्डनाय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटाया दिया जायेगा और उसके हटाने के सबं का भार उस दमारत विनावे वाले से १० प्रतिशत संघर्ष शुल्क के साथ बसूत किया जायेगा।

२—इस अनुमति-पत्र में सूक्ष्म, गवीं या नाली पर बढ़ा कर प्रावेशक जरूर किया जाए कि पौर्ण का, बारंबा, तोड़िया, सीढ़ी, झाप नये अधिक पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह किर से नये निर्माण का स्वीकृत चाहे उसके साथ नवाने से छिपाई भी ही, नहीं प्रदान की जायेगी।

३—मकान निर्माण से यदि नालों के सूक्ष्म की पटरी अधिक ताढ़क या नालों के किसी भाग (जो मकान के अधिकारी प्रियवासी अधिकार के कारण इक पर्ह हो) की हासी पहुँचे तो गृह स्थानी गृह संचार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अधिकारी याद विकास प्राधिकरण ने एक लिंग्वर सूचना द्वारा और शोषण कहा तो पहले ही उसे अपने स्वर्वं से भरमल करकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्दोष हो जाय, में कर देगा।

४—गृह निर्माण के समय इतका भी अलग रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम (1956 (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी लैल 1965) विधम ४२ का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे भावले पाये गये हो वह ऐसे विर्माण को रोक अधिका हटा देता होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

५—प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की लींब उक तथा छत तक तन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदानो का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

६—यदि निर्माण से मरम्मत ज्ञात का उल्लंघन होता प्र० निर्माण दी गई स्वीकृति दू समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनुविकृत घोषित कर ० के अन्तर्गत कार्यवाही

